कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, मुख्या०-रामानुजगंज (छ.ग.)

Email-id rmsa.ramanujganj@gmail.com

–:: आदेश ::–

रामानुजगंज दिनांक–15/07/2026

क्रमांक/7234/स्था0–02/स्कूल शिक्षा/2026 :::: विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर के पत्र क्रमांक/1356/स्था.–1/जांच प्रतिवेदन/2026–27, दिनांक 15.07.2026 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन अनुसार श्री अयोध्या प्रसाद यादव, प्रयोगशाला सहायक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर, विकासखण्ड वाड्रफनगर द्वारा दिनांक– 15.07.2026 को विद्यालयीन समय में विषय कालखण्ड के समय–सारणी के संबंध में संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री अनन्त कुमार यादव एवं श्री इजहारूल हक अंसारी, व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किये जाने की पुष्टि हुई है। उक्त कृत्य से न केवल शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन का उल्लंघन हुआ है, बल्कि शिक्षकीय गरिमा एवं विद्यालय की संस्थागत मर्यादा भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। विद्यालयीन समय में संस्था प्रमुख एवं अन्य शिक्षक के साथ मारपीट की घटना से विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, अध्यापन कार्य बाधित हुआ तथा विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के मध्य अनुशासन एवं शिक्षकीय आचरण के संबंध में प्रतिकूल संदेश गया।

उक्त कृत्य शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन, मर्यादा एवं शासकीय सेवा की गरिमा के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्री अयोध्या प्रसाद यादव, प्रयोगशाला सहायक, द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

शासकीय कर्त्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–9 (1) (क) के तहत् श्री अयोध्या प्रसाद यादव, प्रयोगशाला सहायक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर, विकासखण्ड वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

निलंबन काल में श्री अयोध्या प्रसाद यादव, प्रयोगशाला सहायक, का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें मूल नियम–53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/7235/स्था0–02/स्कूल शिक्षा/2026 रामानुजगंज दिनांक–15/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, बलरामपुर–रामानुजगंज, की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर/रामचन्द्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री अयोध्या प्रसाद यादव, प्रयोगशाला सहायक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर, विकासखण्ड वाड्रफनगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़